

प्रेषक,

के:0पी0 सिंह.
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-2

लखनऊ: 27-08-2026

विषय:- 'लोकमाता अहिल्या बाई मातृ शक्ति यात्रा' योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 'लोकमाता अहिल्या बाई मातृ शक्ति यात्रा' योजना के अंतर्गत प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में दिनांक 28.08.2026 से निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) यह सुविधा उस महिला यात्री को अनुमन्य होगी जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो एवं उत्तर प्रदेश राज्य की निवासीनी हो।
- (2) महिला यात्री को उक्त निःशुल्क यात्रा सुविधा आधार कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) निःशुल्क यात्रा हेतु आधार/मतदाता पहचान-पत्र के आधार पर ई.टी.आई.एम. (Electronic Ticket Issuing Machine) से 'शून्य' मूल्य का टिकट निर्गत किया जायेगा। टिकट में बस नम्बर तथा यात्रा के प्रारम्भ एवं गंतव्य स्थान का विवरण अंकित होगा।

2- वास्तविक निःशुल्क यात्रा एवं प्रतिपूर्ति की धनराशि का आकलन उत्तर प्रदेश

राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। तदनुसार परिवहन निगम द्वारा प्रत्येक माह की वास्तविक निःशुल्क यात्राओं एवं देय प्रतिपूर्ति का वास्तविक व्यय एवं उपभोग पर समाहित सत्यापित विवरण परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। 'सत्यापित विवरण' के आधार पर देय प्रतिपूर्ति धनराशि शासन द्वारा सीधे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- लाभार्थियों को निःशुल्क यात्रा के सम्बन्ध में स्मार्ट कार्ड जारी किये जाने विषयक निर्देश आवश्यकतानुसार पृथक से जारी किए जायेगी।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि तदनुसार उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में तत्क्षल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

Date 27-08-2026 15:51:28

विशेष सचिव।

संख्या-I/1446164/2026/352(1)/तीस-2-2026, 27-08-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- परिवहन आयुक्त,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- परिवहन अनुभाग- 1/3/4
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से .

Digitally signed by

RAJENDRA KUMAR

Date: 27-08-2026 16:55:55

(राजेन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव।